न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।
बनाम
गाय बथान (शंकर कुमार यादव)

आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा,
केस संख्या– **382/2020–21,**
केस का प्रकार– बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियिम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त गाय बथान के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–: आदेश :– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा के पत्रांक 46/म0नि0 एवं दिनांक–13.01.2020 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज विशेष वाद संख्या– 595/2019, में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त गाय बथान के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान–बटराहा वार्ड नं0 26, थाना–सदर, घटना की तिथि– 03.12.2019 के साथ वर्णित है कि– "गुप्त सूचना के आधार पर उपरोक्त स्थान एवं तिथि को अभियुक्त के घर एवं परिसर की तलाशी लेने पर परिसर में अवस्थित गाय बथान में अवस्थित फुलवारी(फूलो की झाडी) से आई0बी0 के 375 एम0एल0 का 20 पीस तथा आर0एस0 ब्रांड के 750 एम0एल0 का 09 पीस कुल 29 बोतल में 14.250 ली0 अवैध विदेशी शराब की जप्ती हुई है। जप्त शराब का नमूना की जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु उत्पाद रसायन परीक्षक बिहार पटना को दिनांक–26.12.19 को प्रदर्श का नमूना हस्तगत करा दिया गया है। अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि अभियुक्त के गाय बथान की अधिग्रहण के कार्रवाई के साथ निम्न विवरणी के अनुसार जप्त शराब के विनष्टीकरण हेतु अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।" प्राप्त प्रस्ताव में उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए जप्त शराब के विनिष्टीकरण एवं जप्त गाय बथान के अधिहरण करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण का आदेश दिया गया। साथ ही जप्त गाय बथान के अधिहरण के बिन्दु पर गाय बथान मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। गाय बथान मालिक शंकर कुमार यादव उर्फ शिव शंकर	

यादव, पिता– किशोर यादव उर्फ राज किशोर यादव, साकिन– बटराहा वार्ड नं०– 26, थाना– सदर, जिला– सहरसा द्वारा भी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

गाय बथान मालिक का कहना है कि इस मामले में वे निर्दोष हैं। उनके गाय बथान या घर से कोई आपत्तिजनक वस्तु या अवैध शराब बरामद नहीं हुआ है। बल्कि गाय बथान के पास स्थित झाड़ी से बरामद हुआ है। प्रतिवादी का उक्त अवैध झाड़ी वाले स्थान या बरामद अवैध शराब से कोई सरोकार नहीं है। वास्तविकता यह है कि उनका परिसर खुला हुआ है और उस इलाके में कोई भी आ–जा सकता है। हो सकता है कि किसी के द्वारा अपनी दुश्मनी पूरा करने एवं उन्हें फंसाने हेतु उक्त कथित स्थान पर शराब रख दिया गया हो।

इनके ओर से मुख्यतः उक्त तथ्यों के आलोक में अपने ओर से दाखिल स्पष्टीकरण को स्वीकार कर स्वयं को आरोप मुक्त एवं कार्यवाही को बंद किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि जप्त गाय बथान का प्रयोग शराब के अवैध भंडारण एवं बेचने में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त गाय बथान को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रतिवादी के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

चूँकि प्राप्त प्रस्ताव में जप्त परिसर के संबंध में स्पष्ट विवरणी नहीं दी गयी। अतः उक्त अधिहरण प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अतः उक्त जप्त परिसर को मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

समाहर्त्ता
सहरसा।

समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 114/न्याया०, सहरसा, दिनांक 28.01.21

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

28.01.21

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।